न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 131/2020

1. रामकुमार पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।

:– **वादी**

ब ना म

1. अमरसिंह पुत्र फुला जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
2. पालाराम पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
3. शकुन्तला पुत्री अमरसिंह जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
4. बिमला पुत्री अमरसिंह जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
5. कमला पुत्री अमरसिंह जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुरेन्द्र बेनीवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री विनोद शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी स्वीकार होने के कारण संशोधित डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 140/142 के खसरा सं0 668/411 की 1.855है0, खसरा सं0 548/2 की 1.661है0, खसरा सं0 670/493 की 0.476है0 कुल 3.992है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह के नाम से दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 1 व 3 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपसेक्तानुसार वादी रामकुमार व प्रतिवादी सं0 2 पालाराम को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रैक) भादरा

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:06:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 131/2020

1. रामकुमार पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा। :— वादी

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र फूला जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
2. पालाराम पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
3. शकुन्तला पुत्री अमरसिंह जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
4. विमला पुत्री अमरसिंह जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
5. कमला पुत्री अमरसिंह जाति जाट निवासी कणाऊ त0 भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री सुरेन्द्र बेनिवाल : वादी
वकील श्री विनोद शर्मा : प्रतिवादीगण

दिनांक : 12.02.21

संशोधित निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 140/142 के खसरा सं0 668/411 की 1.855है0, खसरा सं0 548/2 की 1.661है0, खसरा सं0 670/493 की 0.476है0 कुल 3.992है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह के नाम से दर्ज है व रोही कणाऊ के खाता सं0 8/8 के खसरा सं0 16/1 की 2.976है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता फूला की खातेदारी हुआ करती थी। फूला से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एवं प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की वावालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाऊ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखासमत है।

वाद पेश होने, पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 5 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। व प्रतिवादी सं 6 को तर्क अंकित किया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यू1 बंशीलाल पुत्र [illegible] जाति जाट निवासी मक्कासर के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि [illegible] कणाऊ संवत 2072–75 प्रदर्श 1, सत्यप्रति जमाबंदी रोही [illegible] वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कणाऊ प्रदर्श 3 व [illegible] प्रदर्शित करवाये।

वकील वादी ने धारा 152 सीपीसी प्रार्थना [illegible] पेश किया। बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दावा में वर्णित वादभूमि का पूर्व में विभाजन हो चुका था दावा बनाते समय सहवन से विभाजन से पूर्व की जमाबंदी अनुसार रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 140/142 के खसरा सं0 548 की 4.

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:06:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

खसरा सं0 645/473 की 2.807है0, खसरा सं0 646/411 की 4.186है0 कुल 11. ...है0 में प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह के नाम से 1/3 हिस्सा कृषि भूमि का विवरण दर्ज हो ...था जबकि विभाजन के उपरान्त रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 140/142 के खसरा सं0 668/411 की 1.855है0, खसरा सं0 548/2 की 1.661है0, खसरा सं0 670/493 की 0. ...है0 कुल 3.992है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह के नाम से दर्ज है। ...कील वादी द्वारा प्रस्तुत पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी व दस्तावेजों का अवलोकन कर ...साथ में प्रार्थना पत्र 152 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद वादीगण संशोधित डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम कणाऊ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 3 में वारिसप्रमाण पत्र में अमरसिंह के दो पुत्र रामकुमार व पालाराम व तीन पुत्री शकुन्तला, कमला व बिमला के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही कणाऊ के खाता सं0 8/8 के खसरा सं0 15/1 की 2.976है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज भूमि प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह के नाम यथावत रखते हुए रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 140/142 के खसरा सं0 668/411 की 1.855है0, खसरा सं0 548/2 की 1.661है0, खसरा सं0 670/493 की 0.476है0 कुल 3.992है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह के नाम से दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। चूकिं प्रतिवादी सं 1 व 3 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

क्रियात्मक आदेश

अत : वकील वादी का प्रार्थना पत्र धारा 152 सीपीसी स्वीकार किया जाकर दिनांक 22.01.2021 को जारी आदेश में संशोधन किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 140/142 के खसरा सं0 668/411 की 1.855है0, खसरा सं0 548/2 की 1.661है0, खसरा सं0 670/493 की 0.476है0 कुल 3.992है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह के नाम से दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 अमरसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 1 व 3 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी रामकुमार व प्रतिवादी सं0 2 पालाराम को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.03.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:06:14 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner